कार्यालय जिला पंचायत कोरिया , बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

—::नीलामी सूचना ::—

क्रमांक / 3588 /जि.पं. / बी.आर.जी.एफ. / दु॰आबंटन / 2011 बैकुण्ठपुर दिनाँकः— 21.12.11

एतद् द्वारा जन साधारण को सूचित किया जाना है कि जिला पंचायत कोरिया द्वारा निर्मित 16 दुकानों की नीलामी सार्वजनिक घोष द्वारा दिनाँक 05.01.2012 दोपहर 12.00 बजे दिन से जिला पंचायत कार्यालय कोरिया में की जायेगी। नीलाम की जाने वाली प्रस्तावित दुकानो का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	दुकान का स्थल	दुकानो की संख्या	दुकान क्रमांक	दुकानो का आकार	मासिक किराया (रूपये)	आफसेट प्राईज (रूपये)	अमानत राशि (रूपये)	आरक्षण की स्थिति
1	व्यावसायिक परिसर छिदडांड	16	1	3X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा
2			2	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अनारक्षित
3			3	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा (वि॰)
4			4	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजा
5			5	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अपिव
6			6	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा (म॰)
7			7	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अनारक्षित
8			8	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा
9			9	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अनारक्षित (म॰)
10			10	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा
11			11	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा (म॰)
12			12	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अनारक्षित
13			13	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा भू॰पू॰सै॰
14			14	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा
15			15	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अपिव (म॰)
16			16	3 X 3.60	1300.00	55000.00	8000	अजजा (म॰)

दुकानो की नीलामी की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर सम्पत्ति का अवतरण) नियम 1994 के नियमों व प्रक्रिया के तहत की जायेगी इस सबंध में निर्धारित शर्ते कार्यालय जिला पंचायत कोरिया में कार्यालयीन दिवसों में देखी जा सकती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया

पृ.क्रमांक /3589 /जि.पं. / बी.आर.जी.एफ. / 2011 बैकुण्ठपुर दिनाँकः— 21.12.11

प्रतिलिपिः—

1. कलेक्टर जिला कोरिया की ओर सादर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर को सूचनार्थ एवं विज्ञापन 1 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र एवं 1 जिला स्तरीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
3. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया

कार्यालय जिला पंचायत कोरिया , बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

जिला पंचायत कोरिया द्वारा निर्मित व्यावसायिक परिसर छिन्दडाड़ के अन्तर्गत निर्मित दुकानों की नीलामी शत :–

1. दुकानों की नीलामी कलेक्टर द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की उपस्थिति एवं देखरेख में जी जावेगी।
2. दुकानों की नीलामी छत्तीसगढ़ पंचायत (स्थावर सम्पति का अंतरण) नियम 1994 के नियमों के शर्तो के अधीन होगी।
3. निर्मित 16 दुकानों में आरक्षण नियम के अनुसार 9 दुकान अनुसूचित जनजाति, 1 दुकान अनुसूचित जाति, 2 दुकान अन्य पिछडा वर्ग, 4 दुकान अनारक्षित वर्ग हेतु आरक्षित है। जिसमें अनुसूचित जनजाति महिला हेतु 3 दुकान, अनुसूचित जनजाति विकलांग हेतु 1 दुकान, अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक हेतु 1 दुकान, अ॰पि॰व॰ महिला हेतु 1 दुकान एवं अनारक्षित महिला वर्ग हेतु 1 दुकान आरक्षित है।
4. दुकानों की नीलामी क्रमवार एक–एक दुकान ~~बाईज~~ वार की जायेगी। प्रत्येक दुकान के लिये बोली लगाने के पूर्व पृथक–पृथक निर्धारित रू॰ 8000.00 रूपये निक्षेप राशि जमा करनी होगी।
5. मासिक किराया प्रति दुकान रू॰ 1300.00 निर्धारित है
6. दुकानो की नीलामी 7 वर्ष की अवधि के लिये होगी, नीलामी बोली की स्वीकृत राशि जिला पंचायत कोरिया की निधि होगी जिसे वापस नही लौटाया जावेगा। इस राशि के अतिरिक्त निर्धारित मासिक किराया प्रतिवर्ष वार्षिक किराया के रूप में अग्रिम में देय होगी।
7. किराए दार द्वारा किराया प्रतिमाह 10 तारीख तक जमा करना होगा। अन्यथा किराए दार द्वार देय राशि पर 6.25 प्रतिशत मासिक दर से व्याज का देनदार होगा।
8. दुकान की छत पर किराएदार का कोई अधिकार नही होगा। दुकान मे किसी भी प्रकार की क्षति होने पर जिला पंचायत कोरिया को किराए दार से क्षति प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
9. दुकानों की नीलामी में जिला कोरिया क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही सम्मिलित हो सकेंगे, जिला की प्रचलित मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाता ही जिला के स्थानीय निवासी माने जावेंगे। यदि प्रथमि नीलामी में जिला क्षेत्र के निवासी सफल बोली बोलने मे असफल होते है, ऐसी स्थिति में शेष रह गये दुकानों की पुनः नीलामी में सम्मिलित किया जावेगा।
10. जिला पंचायत कोरिया के किसी भी मद में बकाया कर/फीस बाले बकायादार नीलामी में सम्मिलित नही हो सकेंगें।

11. बोली लगाने के पूर्व प्रत्येक इच्छुक बोली कर्ता को निर्धारित निक्षेप की राशि रू॰ 8000/– (आठ हजार रूपये) नगद में नीलाम संचालनकर्ता अधिकारी के पास जमा करनी होगी, प्रत्येक दुकान के लिये पृथक – पृथक निक्षेप की राशि जमा करनी होगी।

12. प्रत्येक दुकान के लिये पृथक – पृथक रू॰ 55000/– (पचपन हजार रूपये) निम्नतम शासकीय बोली निर्धारित की गई है पंचायत द्वारा पुष्टिकरण किये जाने के अधीन उच्च बोली स्वीकार की जावेगी।

13. वह व्यक्ति , जसकी बोली स्वीकार की जावेगी, उसे नीलाम मूल्य की पच्चीस प्रतिशत राशि नीलाम बोली स्वीकृत किये जाने के ठीक पश्चात जमा करना अनिवार्य होगा, इस रकम में पूर्व प्रदत्त अग्रिम धन रू॰ 8000/– (आठ हजार रूपये) का समायोजन किया जावेगा, यदि वह व्यक्ति इस शर्त द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार नीलामी मूल्य की पच्चीस प्रतिशत रकम का निक्षेप राशि जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा नीलामी बोली लगाने हेतु जमा की गई निक्षिप्त अग्रिम राशि जिला पंचायत के पक्ष में समपहूत कर लिया जावेगा, और नीलामी रद्द किया गया समझा जाएगा।

14. नीलामी के पुष्टिकरण की सूचना अधिसूचित किये जाने की तीस दिन के भीतर नीलामी स्वीकृत बोली की शेष राशि जिला पंचायत को जमा करना अनिवार्य होगा। तथा स्वयं के व्यय पर पंजीकृत आंतरण विलेख निष्पादित करना होगा यदि बोली के पुष्टिकरण के तीस दिवस के भीतर अवशेष रकम जमा नही की गई तो जमा की गई पच्चीस प्रतिशत रकम जिला पंचायत के पक्ष में समपहूत कर ली जावेगी, और नीलामी निरस्त कर दी जावेगी। तथा पुनः नीलामी की कार्यवाही की जावेगी।

15. असफल बोली लगाने वालो को जमा की गई अग्रिम धन वापस लौटा दिया जावेगा।

16. दुकान के संचरना में फेर बदल करने का अधिकारी नही होगा।

17. दुकान के बिजली देयक आदि का भुगतान स्वंय किरायादार को करना होगा।

18. किराएदार को दुकान में मांस मछली मंदिरा के विक्रय की अनुमति नही होगी, इसी प्रकार फटका या अन्य प्रकार के विष्फोटक सामग्री का निर्माण व विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।

19. किराएदार दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण करने का अधिकारी नही होगा।

20. नीलामी की दुकानों को पूर्ण स्वामित्व जिला पंचायत कोरिया का होगा किराये दार को जिला पंचायत द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों व निर्देशों व आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

21. नीलाम की अवधि 7 वर्ष पूर्ण होने पर, किरायेदार को दुकान खाली कर जिला पंचायत कोरिया को देना होगा, जिसे जिला पंचायत कोरिया द्वारा आवश्यकतानुसार पुनः नीलाम किया जावेगा।

22. यदि दुकान किसी भी कारणो से क्षतिग्रस्त होगी है, तो किरायेदार से जिला पंचायत द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि भूराजस्व के बकाया की भांति की जावेगी।

23. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में जिला पंचायत का निर्णय/आदेश अंतिम व बंधन कारी होगा।

24. उल्लेखत शर्तो का पालन न करने की स्थिति में जिला पंचायत द्वारा एक माह की पूर्व नोटिस देकर दुकान खाली करा सकेगी।

25. विवाद की स्थिति में जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की निर्णय अंतिम होगा। व किराएदार उसे मानने हेतु बाध्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरिया